न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः के.आर. खौड़, आर.ए.एस.)

अपीलार्थी

भुराराम पुत्र चमनाजी, जाति–प्रजापत, निवासी–मारोल, तहसील– रेवदर, जिला– सिरोही

बनाम

प्रत्यर्थी

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, रेवदर, जिला– सिरोही

राजस्व अपील संख्याः 5/2021

"अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956"

उपस्थितिः
1. अधिवक्ता श्री दिलीप राजपुरोहित, अपीलार्थी की ओर से
2. पेरोकार सरकार (श्री नवलकिशोर माली, तहसीलदार, भू.अ. सिरोही)

–: निर्णय :– **दिनांक 30 सितम्बर, 2021**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। अपीलार्थी की ओर से यह अपील तहसीलदार, रेवदर द्वारा प्रकरण संख्या 69/2020 में पारित निर्णय दिनांक 10.11.2020 बाबत ग्राम मारोल, पटवार हल्का मारोल के खसरा संख्या 262/1 रकबा 6200 वर्गफीट किस्म ओरण भूमि का अपीलार्थी को अतिक्रमी घोषित करते हुए मौके से बेदखल करने एवं जुर्माना आरोपित करने के आदेश से व्यथित होकर प्रत्यर्थी के विरुद्ध पेश की गई है।

(2) प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थी को सम्मन जारी किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रत्यर्थी की ओर से अपील की सुनवाई के दौरान पेरोकार सरकार द्वारा उपस्थिति दी गई।

(3) प्रकरण में दिनांक 29.9.2021 को बहस सुनी गई। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को विवादित भूमि का अतिक्रमी मानकर मौके से भौतिक रुप से बेदखल करने व जुर्माना आरोपित करने का आदेश पारित करने में कानूनन भूल की गई है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व इस तथ्य पर गौर नही किया कि ग्राम मारोल के खसरा संख्या 365 व 262/1 में पुरानी आबादी बसी हुई है तथा अधिकांश ग्रामवासियों के आवासीय मकान खसरा संख्या 262/1 व 365 की भूमि पर बने हुए है व मौके पर गत कई वर्षो से अपने परिवार सहित निवास करते आ रहे है, जिसकी जानकारी राजस्व अधिकारियों/कर्मचारियों व ग्राम पंचायत को भलीभांति पूर्व से ही है। यह कि जयन्तिलाल कलबी, निवासी– मारोल द्वारा पूर्व में ग्राम मारोल के खसरा संख्या 199 में देवस्थान खेतलाजी की भूमि व रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण कर कब्जा किया गया था जिस पर गांव वालों द्वारा आपत्ति करने पर उक्त व्यक्ति जयन्तिलाल पुत्र चेलाराम, जाति– कलबी तथा अर्जुनराम पुत्र चेलाराम, जाति– कलबी व रमेश लाल कलबी पुत्र चेलाजी कलबी, निवासी– [illegible] तथ्यों के आधार पर एक रिट याचिका संख्या 222/2020 माननीय रा[illegible] न्यायालय, जोधपुर प्रस्तुत की जिसको दिनांक 17.1.2020 [illegible] न्यायालय द्वारा जिला कलक्टर, सिरोही के [illegible] निर्देश दिये थे, परन्[illegible]
[illegible]र

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 17:47:48 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

राजस्थान उच्च न्यायालय के उक्त आदेश की आड में प्रत्यर्थी तहसीलदार, रेवदर ने अपीलार्थी को उसकी कदीमी से कब्जेशुदा आवासीय सम्पति से बेदखल करने का आदेश पारित किया है, जबकि उक्त याचिका में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा किसी भी व्यक्ति को बेदखल करने के निर्देश नही दिये है व न ही याचिकाकर्ता ने जिला कलक्टर, सिरोही के समक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है, उसके बावजूद भी प्रत्यर्थी तहसीलदार, रेवदर ने अपीलार्थी को उसके पुराने कब्जेशुदा आवासीय भूमि जिस पर अपीलार्थी का आवासीय मकान बना हुआ है से बेदखल करने के आदेश पारित किया है जो विधि अनुरुप नही है। यह कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश के संबंध में ग्राम मारोल के कई व्यक्तियों ने रिट याचिका माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में प्रस्तुत की थी, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा उन रिट याचिकाओं में दिनांक 02.9.2020 में पूर्व में पारित निर्णय दिनांक 17.1.2020 को स्पष्ट करते हुए यह अभिनिर्णारित किया कि "खण्डपीठ रिट याचिका आदेश दिनांक 17.1.2020 में जिला कलक्टर, सिरोही को दिये गये निर्देश के बावजूद भी उक्त निर्देश का यह अर्थ नही है कि जिला कलक्टर, सिरोही कथित अतिक्रमियों को हटाने का आदेश देवे, बल्कि जिला कलक्टर, सिरोही संबंधित पक्षकारों को सुनवाई का मौका देकर उनके विधिक अधिकारों का ध्यान रखते हुए विधि अनुसार आदेश पारित करे।" परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने माननीय उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय को नजर अन्दाज कर आलोच्य आदेश पारित कर अपीलार्थी को बेदखल करने का आदेश पारित किया है जो किसी भी रुप में उचित नही है। प्रत्यर्थी तहसीलदार, रेवदर ने रिट याचिका संख्या 222/2020 में हुए आदेश का गलत अभिवचन कर अपीलार्थी व अन्य 400 परिवारों को उनकी कब्जे शुदा भूमि व उसमें बने पक्के आवासीय मकानों से बेदखल करने पर आमदा है। ग्राम मारोल के खसरा संख्या 262/1 किस्म ओरण व खसरा संख्या 365 किस्म आगोर में अपीलार्थी व उनके साथ लगभग 400 परिवार पिछले 50 वर्षो से निवास कर जीवन यापन कर रहे है। अपीलार्थी व इन व्यक्तियों ने अपने जीवन की खून पसीने के कमाई से पक्के आवासीय मकान भी बनाये है। रेकर्ड में खसरा संख्या 262/1 की किस्म ओरण व खसरा संख्या 365 की किस्म आगोर दर्ज है, परन्तु मौके पर यह भूमि कभी भी ओरण व आगोर के रुप में उपयोग में नही आई है, बल्कि सदैव से ही यह भूमि आवासीय उपयोग में आ रही है। यह कि ग्राम मारोल में करीब 1000 बीघा भूमि चारागाह के रुप में मौजूद है। इस प्रकार गांव मारोल में मवेशियों की संख्या के अनुरुप चारागाह भूमि अनुपात में काफी अधिक उपलब्ध है। न्यायालय को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 257 के अर्न्तगत निर्मित नियम 7 में यह अधिकार प्राप्त है की न्यायालय ग्राम पंचायत को चारागाह की भूमि की किस्म परिवर्तित करने की कार्यवाही करने व उसके बदले दूसरी भूमि चारागाह हेतु आरक्षित करवाने हेतु निर्देशित कर सकता है। इसी तरह, राजस्थान भू राजस्व अधिनिम की धारा 90ए व 92 में भी न्यायालय को अधिकार दिये हुये है। यह कि विवादित खसरा संख्या 262/1 व 365 का उपयोग सदैव आवासीय हेतु किया जाता रहा है व राज्य सरकार द्वारा इसी खसरा में पटवार घर का निर्माण किया है। उक्त खसरा से लगते हुए खसरा संख्या 262 की भूमि की किस्म भी वर्ष 2009 में आबादी भूमि में परिवर्तित कर उसका प्रमाण पत्र जारी किया जा चुका है। यह कि विवादित खसरा संख्या में अपीलार्थी लगभग 50 वर्षो से अधिक समय से काबिज होकर उस पर अपना पक्का निर्माण [illegible] विद्युत कनेक्शन भी लिया हुआ है। इसी खसरा में कई अन्य व्यक्तियों [illegible]ीय सम्पति के पट्टे भी ग्राम पंचायत, मारोल द्वारा जारी कि[illegible] स्वच्छ भारत योजना के तहत पटवारी की सहमति से शौचालय [illegible] निर्माण कार्य भी करवाया हुआ है। यह कि ग्राम पंचायत, मारोल द्वारा जिन व्यक्तियों को इन खसरों की भूमि में

.....तीन पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 17:47:48 IST
Reason: SelfAttested

आवासीय पट्टे जारी किये है उनमें संबंधित व्यक्तियों द्वारा सिविल वाद प्रस्तुत कर सिविल न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त किया हुआ है। यह कि राजस्थान सरकार के राजस्व (ग्रूप–6) विभाग द्वारा जारी परिपत्र संख्या प.6(39)राज–6/2001/6 दिनांक 07.6.2003 के द्वारा चारागाह भूमि पर दिनांक 1.1.1972 से पूर्व के कब्जों को नियमन करने के निर्देश दिये है। राजस्थान सरकार के राजस्व विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांकःप.9(6)राज–6/2000/10 दिनांक 07.9.2017 के द्वारा सिवायचक भूमि पर दिनांक 01.1.2017 तक आवास गृह बनाकर किये अतिक्रमित भूमि को चिन्हित कर आबादी विस्तार हेतु आवंटन करने के निर्देश दिये गये है। राजस्थान सरकार के राजस्व विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांकःप.9(6)राज–6/2000/10 दिनांक 07.9.2017 द्वारा जारी निर्देशों के सन्दर्भ में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर ने पत्र संख्या एफ.4(78)सिवायचक/नियमन/विधि/पंरा/2017/1102 दिनांक15.9.2017 के द्वारा समस्त जिला कलक्टरों व जिला परिषद् के मुख्य कार्यकारी अधिकारियां को यह निर्देश जारी किये है कि राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 07.9.2017 अनुसार सेट अपार्ट कर पंचायत को आवंटित की गई भूमि के पट्टे ग्राम पंचायत द्वारा अपने नियमों के अर्न्तगत ऐसे अतिक्रमियों से राशि लेकर जारी किये जायेंगे। यह कि राजस्थान सरकार के राजस्व (ग्रूप–6) विभाग के पत्र क्रमांक प. 9(20)राज–6/17/ दिनांक 10.7.2019 एवं विभागीय पत्र दिनांक 14.12.2017 व 20.5. 2019 में भी यह स्पष्ट निर्देश दिये है कि चारागाह भूमि पर से अतिक्रमण का निस्तारण करते समय यदि अतिक्रमित भूमि आबादी प्रयोजनार्थ काम में आ रही है तो सम्पूर्ण क्षेत्र का सर्वे करवाकर अतिक्रमित भूमि पर उसे परिवारेां की सूची बनाकर उसको नियमित करने का प्रावधान किया है एवं इसी सन्दर्भ में राज्य सरकार ने एक परिपत्र क्रमांक प. 9(6)/2020/10 दिनांक 07.9.2017 को जारी कर यह निर्देश दिये है कि यदि किसी व्यक्ति का 300 वर्गगज तक अतिक्रमण है एवं अतिक्रमित भूमि का उपयोग आवासीय रुप में किया जाता है तो ऐसी अतिक्रमित भूमि का संबंधित व्यक्ति के पक्ष में नियमन किया जावे, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने राज्य सरकार के उक्त निर्देशों व परिपत्रों की अवहेलना कर आलोच्य आदेश पारित किया है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा भी डी.बी.स्पेशल अपील रिट संख्या 233/2020 में दिनांक 09.9.2020 को भी यह आदेशित किया है कि भूमिहीन व्यक्तियों के गोचर भूमि में निर्मित आवासीय मकानों को नही हटाया जावे, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय पर गौर किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को विवादित भूमि से बेदखल करने के आदेश पारित करने में बेदखल करने के कारण का उल्लेख नही किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई का भी समुचित अवसर प्रदान नही किया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के प्रतिकूल है। यह कि ग्राम मारोल की आधी आबादी खसरा संख्या 262/1 व 365 में बसी हुई है तथा उस पर ये लोग अपने पूर्वजों के समय से काबिज होकर भूमि का आवासीय उपयोग करते आ रहे है, इसलिये अधीनस्थ न्यायालय व ग्राम पंचायत का यह दायित्व था कि उक्त भूमि की किस्म को आवासीय में परिवर्तित करवाते एवं वर्तमान में उक्त भूमि की किस्म परिवर्तित की जाती है तो उसमें ग्राम पंचायत, मारोल को किसी भी प्रकार की आपत्ति नही है, इस संबंध में ग्राम पंचायत ने प्रमाण पत्र भी जारी किया है। अतः अपीलार्थी की अपील को स्वीकार किया जाकर अपीलाधीन निर्णय को निरस्त किया जावे तथा राजस्थान भू राजस्व [illegible] की धारा 92 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 272 के निय[illegible] में [illegible]ाई शक्तियों का प्रयोग कर उक्त भूमि की किस्म आवासी[illegible] [illegible] पारित करावे। जबकि विद्वान पेरोकार सरकार ने बह[illegible] [illegible]किया कि हल्का पटवारी, मारोल द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध संवत 2077 में विवादि[illegible] भूमि पर अतिक्रमण बाबत रिपोर्ट

.....चार पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 17:47:48 IST
Reason: SelfAttested

सिरोही (राज०)

अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत करने पर प्रकरण दर्ज किया जाकर नोटिस जारी किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए बाद जांच विधि अनुरुप निर्णय पारित किया है, इसलिये अपीलार्थी की अपील को खारिज किया जावे।

(4) उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि हल्का पटवारी, मारोल द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध संवत 2077 में ग्राम मारोल, पटवार हल्का मारोल के खसरा संख्या 262/1 रकबा 6200 वर्गफीट किस्म ओरण भूमि पर अतिक्रमण कर पक्का घर/बाडा बनानें की रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत करने पर अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थी के विरुद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज किया जाकर अपीलार्थी को विवादित भूमि पर अतिक्रमण बाबत नोटिस जारी किया जाकर नोटिस की तामिल करवाई गई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि अपीलार्थी ने खसरा संख्या 262/1 किस्म ओरण राजकीय बिलानाम भूमि पर अतिक्रमण कर कब्जा किया है, जो प्रतिबन्धित श्रेणी की भूमि है। ऐसी स्थिति में, अपीलार्थी की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

अतः अपीलार्थी की अपील को खारिज किया जाता है। निर्णय सुनाया गया।

(के.आर.खौड)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 17:47:48 IST
Reason: SelfAttested